आयोजनागत

संख्या–2451/ III (2)/05–41(बजट)/2005

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून: दिनॉक 10 दिसम्बर, 2005

विषय:– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में निर्माणाधीन पूल्ड आवासो के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 –1320/III–2/05–41 (बजट)/2005 दिनांक 10 जुलाई,2005, प्रमुख सचिव, वित्त के पत्र संख्या–1333(1)/XXVII(1)/05 दिनांक 20 अक्टूबर 2005 एवं आपके पत्र संख्या–3551/11बजट(भवन) आयोजनागत/2005–06, दिनांक 24.10.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के प्रथम अनुपूरक मांग में निर्माणाधीन आवासो के निर्माण हेतु वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का साख सीमा के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर ही किया जायेगा तथा शासन की पूर्व अनुमति के बिना नई योजनाओ पर व्यय कदापि नही किया जायेगा । कार्यवार आबंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्यो पर ही कार्य की स्वीकृत लागत की सीमा तक ही किया जाय ।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्कता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा ।

6– आवास के कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण करके संबंधित को हस्तगत कर दिये जायेंगे ।

7– यदि पुनः स्वीकृति के उपरान्त पुनः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्व रूप से उपयोग नही किया जाता है तो इसका समस्त दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही मानते हुए इसके विरूद्व समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

क्र0/पृ0तो0

9– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–80 सामान्य– आयोजनागत–800–अन्य भवन–12 पुल्ड आधारा योजना (चालू कार्य) आयोजनागत–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य के सुरांगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ0श0संख्या– 87 /XXVII(2)/05 दिनांक, 28 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या–2451(1)/III(2)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मण्डल पौड़ी/नैनीताल ।
3– अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
5 – समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ,उत्तरांचल ।
6– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोडा ।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3, उत्तरांचल शासन।
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।